अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I. M. F.) जिसे मुद्रा-कोष भी कहते हैं, एक **अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है**। अन्तर्राष्ट्रीय द्रा-कोष की स्थापना प्रथम व द्वितीय महायुद्ध के मध्य की अवधि में विद्यमान वित्तीय परिस्थितियों का परिणाम । जुलाई, 1944 में **ब्रेटनवुड्स** नामक स्थान पर 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना की गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्य
(OBJECTS OF I. M. F.)

कोष के उद्देश्य, कोष के चार्टर के अनुसार निम्न प्रकार बताये गये हैं :

(1) **अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करना** (Encouragement to International Monetary o-operation)—इस कोष का प्रथम उद्देश्य सदस्य देशों में मुद्रा नीति सम्बन्धी सहयोग स्थापित करना और ा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को बातचीत एवं सहयोग से हल करना है।

(2) **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना** (Encouragement to International Trade)—कोष का दूसरा श्य ऐसी सुविधाएँ प्रदान करना है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिले। व्यापार बढ़ने से सभी देशों के गार-स्तर में वृद्धि होगी। इस कार्य के लिए मुद्रा-कोष द्विपक्षीय समझौते (Bilateral Agreements) के न पर भुगतान व व्यापार सम्बन्धी बहुपक्षीय (Multilateral) समझौते कराने की सुविधाएँ देगा।

(3) **विनिमय दर में स्थिरता** (Stability of change Rate)—इस कोष का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सदस्य देशों की विनिमय दर को स्थायी बनाये ने का प्रयत्न करेगा। अब इस उद्देश्य में संशोधन कर ा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्य

1. अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करना
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना
3. विनिमय दर में स्थिरता
4. अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों की विषमता को दूर करना
5. विनिमय नियन्त्रण को हटाना
6. अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान असन्तुलन को कम करना
7. उत्पादक पूँजी विनियोग
8. सन्तुलित आर्थिक विकास में सहायक

(4) **अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों की विषमता को दूर ना** (Removal of Disparities in ernational Payment)—अन्तर्राष्ट्रीय ा-कोष सदस्य राष्ट्रों के अदायगी शेषों में होने वाले न्तुलन को दूर करने का प्रयत्न करता है। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए मुद्रा-कोष सदस्य राष्ट्रों को विदेशी मुद्राएँ बेचता है व उन्हें उधार भी देता है।

(5) **विनिमय नियन्त्रण को हटाना** (Removal of Exchange Control)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को ावा देने के लिए कोष सभी प्रकार के विनिमय नियन्त्रणों को निरुत्साहित करेगा।

(6) **अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान असन्तुलन को कम करना** (Reduction of International Payment balances)—जिन देशों का भुगतान सन्तुलन असन्तुलित हो जाता है, मुद्रा-कोष उसे अल्प समय में ठीक ने में क्रियात्मक सहयोग प्रदान करता है। इस हेतु यदि आवश्यक होगा तो कोष उस देश को अल्पकालीन ऋण किसी भी मुद्रा में प्राप्त किये जा सकते हैं) भी देगा।

(7) **उत्पादक पूँजी विनियोग** (Productive Capital Investment)—कोष का एक उद्देश्य यह भी रिगत किया गया है कि एक-दूसरे देश को दीर्घकालीन पूँजी के लाभदायक उपयोग में योग दे।

Scanned with CamScanner

(8) **सन्तुलित आर्थिक विकास में सहायक** (Helpful in Balanced Economic Development)—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष सदस्य राष्ट्रों विशेषकर पिछड़े हुए राष्ट्रों को सन्तुलित आर्थिक विकास में सहायता देता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों में रोजगार का ऊँचा स्तर स्थापित करने में योग देता है।

संक्षेप में, सारांश यह है कि मुद्रा-कोष का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली का विकास करना है जिससे सदस्य देशों को विदेशी विनिमय की सुविधा हो, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिले और सदस्य देश की आर्थिक उन्नति हो सके।

सदस्य (Membership)—मुद्रा-कोष की सदस्यता कोई भी देश प्राप्त कर सकता है यदि मुद्रा-कोष के चार्टर की सब धाराओं का पालन करने का वचन देता है। जो देश कोष का सदस्य न रहना चाहे, वह निश्चित सूचना देकर कोष की सदस्यता का परित्याग कर सकता है। कोष के नियमों का पालन न करने अथवा आदेशों का उल्लंघन करने की दशा में सदस्यता समाप्त की जा सकती है परन्तु समाप्त करने से पहले उस देश को चेतावनी दी जाती है। कोष की वर्तमान सदस्य संख्या 184 है।

मुद्रा-कोष का प्रबन्ध-संचालन (Management of IMF)—मुद्रा-कोष का प्रबन्ध-संचालन निम्न प्रकार है :

(1) **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स** (Board of Governors)—कोष का सर्वोच्च अधिकारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Board of Governors) है जिनमें प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर्स (प्रशासक) और एक विकल्प गवर्नर होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की साल में एक बार बैठक होती है।

मुद्रा-कोष की कार्य-प्रणाली में हुए द्वितीय संशोधन (Second Amendment) के अन्तर्गत प्रशासक मण्डल की वार्षिक बैठक बुलाये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

(2) **निदेशक मण्डल** (Executive Board)—कोष के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के संचालन हेतु निदेशक मण्डल होता है। इसे प्रबन्ध-मण्डल भी कहते हैं। इसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं और शेष अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य सबसे अधिक अभ्यंश वाले देशों से होते हैं और अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं और सम्बन्धित देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में निदेशक मण्डल की कुल सदस्य संख्या 24 है।

(3) **प्रबन्ध संचालक** (Managing Director)—कोष के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु एक प्रबन्ध संचालक होता है। इसे कार्यकारी निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रबन्ध संचालक कार्यकारी निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करता है और केवल निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकारी होता है।

पूँजी एवं अभ्यंश (Capital and Quotas)—मुद्रा-कोष की पूँजी का निर्माण सदस्य देशों के अभ्यंशों (Quotas) से प्राप्त स्वर्ण तथा उनकी वैधानिक मुद्रा से होता है। मुद्रा-कोष का सदस्य बनने से पहले निर्धारित कर दिया जाता है। आजकल हर सदस्य का कोटा SDR के रूप में निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक देश को अपने कोटे की 25 प्रतिशत रकम फण्ड द्वारा निर्धारित आरक्षित परिसम्पत्ति (Reserve Assets) जैसे SDR या अन्य कोई प्रयोग योग्य करेंसी में देनी पड़ती है तथा 75 प्रतिशत रकम अपने देश की करेन्सी में देनी पड़ती है।

आरम्भ में इस कोष की कुल पूँजी 880 करोड़ डॉलर निर्धारित की गयी थी। समय-समय पर इस कोष की कुल पूँजी में परिवर्तन होता रहा है। मार्च 1998 में कुल कोटा राशि 145.3 अरब एस. डी. आर. (लगभग 204 अरब डॉलर) से बढ़कर 212 अरब एस. डी. आर. (लगभग 297 अरब डॉलर) हो गई है। फरवरी 2001 में चीन का एक हॉक (adhoc) कोटा बढ़ा देने से IMF का कुल कोटा 212.4 बिलियन SDR हो गया था। फरवरी 2003 में 12वीं सामान्य समीक्षा के बाद IMF का कुल अभ्यंश 212.700 अरब SDR हो गया था।

एक सदस्य राष्ट्र का अभ्यंश निर्धारण निम्नलिखित रूप में महत्वपूर्ण है :

1. अभ्यंश मुद्रा-कोष की अंश पूँजी में सदस्य राष्ट्र के कोषों के योगदान को बताते हैं।
2. अभ्यंश सदस्य राष्ट्र के लिए आहरण अधिकार को निर्धारित करते हैं।
3. अभ्यंशों से मतदान शक्ति का निर्धारण होता है।
4. विशेष आहरण अधिकारों का आबंटन अभ्यंशों के आधार पर होता है।

मुद्रा-कोष की वर्तमान व्यवस्था डॉलर के स्थान पर SDR पर आधारित है।

Scanned with CamScanner

विशेष प्राप्ति अधिकार (Special Drawing Rights, SDR)

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाने के लिए 28 जुलाई, 1969 को IMF ने एक नई योजना आरम्भ की है जिसे विशेष प्राप्ति अधिकार (SDR) या **कागजी सोना** (Paper Gold) कहा जाता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुद्रा-कोष की वर्तमान व्यवस्था डॉलर के स्थान पर SDR पर आधारित है। इसके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं—(1) SDR पर आधारित विनिमयमान बहुत सस्ता है। (2) यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मान है क्योंकि SDR का मूल्य पाँच बड़े देशों की मुद्राओं पर आधारित है। (3) इसमें भुगतान मुद्रा-कोष के माध्यम से सरलता से हो जाता है। (4) यह मान लोचदार है क्योंकि इसके द्वारा विनिमय दरों में परिवर्तन की छूट है। (5) इसके फलस्वरूप **अन्तर्राष्ट्रीय तरलता** में काफी वृद्धि हुई है।

Scanned with CamScanner